रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 399] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 1, 1983/आश्विन 9, 1905
[No. 399] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1983/ASVINA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1983

सा. का. नि. 780(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. सा. का. नि. 395(अ), तारीख 16 अगस्त, 1973 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करती है ; जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

[सं. 25-वीपी(2)/83]

टी. आर. परमेश्वरन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 1st October, 1983

G.S.R. 780(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Order of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 390(E), dated the 16th August, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[No. 25-VP(2)[83]

R. PARAMESWARAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983